राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1808/2016

सुरिंदर मोहन पाहवा पुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी 101, विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के प्रमुख सचिव के माध्यम से राजस्थान राज्य।

2. निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण योजना, राजस्थान, जयपुर।

3. कोषाध्यक्ष, जिला कोषागार, श्रीगंगानगर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री मनोज बोहरा

प्रतिवादी (गण) के लिए : श्री संदीप शाह

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>05/01/2024</u>

1. याचिकाकर्ता एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का अनुरोध करता है जिसमें प्रतिवादियों को ब्याज के साथ-साथ अनुलग्नक-2 में विस्तृत रूप से उनके उपचार के लिए फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल, जयपुर में उनके द्वारा किए गए सभी चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया जाए।

2. पहले प्रासंगिक तथ्य। याचिकाकर्ता 31 जुलाई, 2003 को कॉलेज शिक्षा में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता का जयपुर के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में इलाज हुआ। 18 मई, 2014 से 24 मई, 2014 के बीच उनके दोनों घुटनों को एक-एक करके बदल

दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कुल खर्च रु 3,31,242/- था। याचिकाकर्ता ने प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को सभी चिकित्सा बिल और रिकॉर्ड प्रस्तुत किए।

2.1. 3,31,242/- रुपये की राशि के लिए सभी चिकित्सा बिल जमा करने के बावजूद, पूरी राशि के बजाय केवल रु 1,10,000/- की प्रतिपूर्ति की गई थी। इसलिए तत्काल याचिका।

3. प्रतिवादी का कहना है कि प्रतिपूर्ति राजस्थान राज्य पेंशनभोगी चिकित्सा रियायत योजना 2009 और सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम 2008 के नियम 8 (2) के साथ-साथ वित्त विभाग के 16 दिसंबर, 2009 के आदेश के अनुपालन में की गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि रुपये 1,10,000/- का भुगतान 2008 के नियमों के तहत प्रत्येक घुटने के प्रतिस्थापन के लिए 55,000/- रुपये की पात्रता के अनुसार किया गया था, जो प्रतिपूर्ति के समय प्रभावी थे।

4. इस पृष्ठभूमि में मैंने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलें सुनी हैं और मामले की फाइल का अध्ययन किया है।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, विशेष सचिव, वित्त (बजट), जयपुर द्वारा जारी 15 अप्रैल, 2015 (अनुलग्नक-6) के एक स्पष्टीकरण परिपत्र का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम 2013 के परिशिष्ट-एक्स के तहत, 15 दिसंबर, 2014 के आदेश के अनुसार, रु 1,10,000/- प्रत्येक घुटने की सर्जरी के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। याचिकाकर्ता की सर्जरी की तारीख/महीना यानी मई, 2014 विवादित नहीं है। इस आधार पर, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता के मामले में कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2014 के समय से पहले की गई सर्जरी, जहां दोनों घुटनों का ऑपरेशन/प्रतिस्थापन किया गया था, की पात्रता रु. 1,10,000/- प्रति घुटना के हिसाब से रु. 2,20,000/- होती है।

6. हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी ने 15 अप्रैल, 2015 के स्पष्टीकरण की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से गलती की, जिसमें दोनों घुटनों के लिए 2,20,000/- रुपये की सही पात्रता के बजाय 55,000/- रुपये प्रति घुटना की दर से प्रतिपूर्ति प्रदान की गई।

7. प्रासंगिक रूप से, स्पष्टीकरण में साफ साफ कहा गया है कि यह केवल पहले से मौजूद नियम को स्पष्ट करता है। इस प्रकार यह एक संशोधन का गठन नहीं करता है, जैसा कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया जा रहा है। इसलिए, याचिकाकर्ता को स्पष्टीकरण का लाभ देने से इनकार करने का तर्क इस आधार पर असमर्थनीय है कि चूंकि स्पष्टीकरण शल्य चिकित्सा के बाद है, इसलिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जैसा कि कहा गया है कि यह न तो एक संशोधन है और न ही शल्य चिकित्सा की दर/लागत में संभावित वृद्धि है, बल्कि किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए केवल पहले से मौजूद नियम की और व्याख्या है।

8. एक स्पष्टीकरण कुछ पहले से मौजूद और कुछ भी नया नहीं बनाने के बारे में अस्पष्टता या गलतफहमी को दूर करने के लिए एक बयान है। इसका उद्देश्य केवल किसी चीज़ को स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए और अधिक स्पष्टीकरण या विवरण प्रदान करना है। स्पष्टीकरण का पूरा उद्देश्य पहले से कही गई बातों की गलत व्याख्या से बचना है। यह किसी भी तरह से किसी नियम का संशोधन या नए नियम का निर्माण नहीं है।

9. नतीजतन, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, और उत्तरदाताओं को इसके स्पष्टीकरण के साथ पढ़े गए लागू नियम के अनुसार याचिकाकर्ता को 2,20,000/- रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया जाता है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के तीन महीने के भीतर, पहले से ही भुगतान किए गए रुपये 1,10,000-को समायोजित करने के बाद शेष शेष राशि को सेवा नियमों के अनुसार लागू ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।